



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज.)

"न्याय आपके द्वार-2018"

पीठासीन अधिकारी : श्री के. आर. थारु, B.A.S.  
करण संख्या 274/2018

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

कानूनी-अच्छादेस

बनाम

- प्रार्थी/प्रार्थीगण

श्री 50 नंबर कापक वगैर

कानूनी-अच्छादेस

- विपक्षी/विपक्षीगण

उपस्थित :- श्री रा. थारु, पी.ए.

कानूनी-अच्छादेस

निर्णय

दिनांक 22/6/18

प्रार्थी/प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी/विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है :- प्रार्थी/प्रार्थीगण के ग्राम ..... तहसील शाहपुरा/..... जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी खसरा नम्बर

क्र. नं. 2783, 2790, 2791, 2833, 2834, 3535, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585

कुल किता 12 रकबा 51 हैक्टर का प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार कारतकार है। बादग्रस्त भूमि के विपक्षी/विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षी/विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी/विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थी/प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम ..... संवत् 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात के प्रार्थी/प्रार्थीगण खातेदार/संयुक्त खातेदार दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा ..... में स्थित प्रार्थी/प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी/संयुक्त खातेदारी की आराजीयात किता ..... रकबा ..... हैक्टर की पुरखा पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा/..... को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस ..... रुपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी/प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा/..... मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22/6/18 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि:-तहसीलदार, शाहपुरा/..... पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

के. आर. थारु  
उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

उपखण्ड अधिकारी एवं  
सहायक कलेक्टर  
शाहपुरा (भीलवाड़ा)